संख्या- 48 / 608 / चार-2015-160(वि0)/2013

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,

लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय:- स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास रामनगर , वाराणसी को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 1188/उ0प्र0सं0नि -4(9)/2013, दिनांक 10 फरवरी,2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास रामनगर , वाराणसी को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 49.68 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 40.29 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 25.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-178/चार-2018-160(वि0)/2013 दिनांक 25 मार्च,2014 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अत: पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 40.29 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 15.29 लाख (रूपये पन्द्रह लाख उन्नतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य आदि विषयक संख्या- 178/चार-2018-160(वि0)/2013 दिनांक 25 मार्च,2014 में उल्लिखित प्रतिबन्ध /शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बॉअ आउट आइटम्स के कार्य मदों पर व्यय निदेशक, संस्कृति निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के कराये जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देख-रेख में प्राप्त सामग्री का उपयोग /अनुउपयोगी सामग्री का निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्कृति निदेशाल का होगा।

7- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

8- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विवरावृत्ति न हो इसे निदेशक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

9- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-92 के लेखाशीर्षक - 2205- कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर -107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय- 29-अनुरक्षण मद के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - / 608 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी , वाराणसी।
4- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, संस्कृति विभाग, वाराणसी।
8- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, वाराणसी यूनिट-3, लंका रोड वाराणसी।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in